अपील सूचना अधिकार संख्या 81/2021 (GCMS 2021/125) (RTI Portal no. 212906934675243) श्री तरसेम लाल पुत्र श्री लालचन्द निवासी 76, वार्ड नं. 7, 20 एलएम, 20 एलएम (लूनियां), अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 94600–95467) बनाम तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

21.02.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री तरसेम लाल उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि** अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.07.2021 से तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत चार बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो तहसीलदार अनूपगढ ने प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार, अनूपगढ से वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 02.07.2021 से निम्न सूचना चाही थी:

1. अनूपगढ़ तहसील के अन्तर्गत विभिन्न चकों/ग्रामों में जोहड़–पायतन की भूमियाँ अवस्थित है, प्रमाणित ब्यौरा उपलब्ध करावें।
2. तहसील अनूपगढ के अधीन राजस्व पटवार हल्का 20 एलएम (लूणियां) में जोहड़ पायतन की भूमि का ब्यौरा मय चक का नाम, भूमि का मुब्बा सं., पत्थर सं., किला सं. व भूमि का [illegible] रूप से उपलब्ध करावें।
3. बिन्दु संख्या 2 के [illegible] जोहड़–पायतन भूमि [illegible] 2. एलएम (लूणिया) पर अ[illegible]मित भूमि व अतिक्रम[illegible] मुक्त भूमि का पृथक–पृथक ब्यौरा मय क्षेत्रफल की सत्यापित सूचनाएँ उपलब्ध करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

4. उपरोक्त बिन्दु संख्या (3) के संदर्भ में जोहड़—पायतन भूमि चक 20 एलएम (लूणिया) पर यदि कोई अतिक्रमण हैं तो अतिक्रमण व अतिक्रमणकारियों का ब्यौरा भी उपलब्ध करावें।

तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ ने अपने पत्र दिनांक 18.08.2021 से प्रार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है

> सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के तहत सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो, दूसरें शब्दों में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखों में उपलब्ध हो, आप द्वारा जिस प्रकार से सूचना चाही गई है, उस रूप में कार्यालय में संधारित नहीं है सूचना के अधिकार अधिनिमय में अलग से सूचना संकलित करके उपलब्ध करवाने का प्रावधान नहीं है, अतः आप किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय में उपस्थित होकर रिकॉर्ड का अवलोकन करें, अवलोकन उपरान्त आप द्वारा चाहा गया रिकॉर्ड उपलब्ध करवा दिया जावेगा।
>
> -sd-
>
> तहसीलदार (राजस्व)
>
> अनूपगढ

चूंकि तहसीलदार, अनूपगढ के पत्र दिनांक 18.08.2021 के अनुसार वांछित रिकॉर्ड उनके पास उपलब्ध नहीं है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में** उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। **<u>सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है।</u>** लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:29 IST
Reason: SelfAttested

से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नही है।** **इसलिए तहसीलदार, अनूपगढ द्वारा अपीलार्थी को दिनांक 18.08.2021 को जो उत्तर दिया** है, वह सही है और उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं। फिर भी सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की भावनाओं को देखते हुए तहसीलदार, अनूपगढ को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी को उनके कार्यालय में संधारित अभिलेख का अवलोकन करवा देवे और उनमे से किसी निश्चित रिकॉर्ड की सूचना चाहे तो उसे नियमानुसार उपलब्ध करवा देवें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खरिज की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), अनूपगढ **को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.04.25 12:50:29 IST
Reason: SelfAttested

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर